


फर्द अहकाम

अज अदालत—न्यायालय जिला कलक्टर—मुकाम—भरतपुर
नवीन गोयल बनाम प्रमुख चिकित्सा अधिकारी भरतपुर।

किस्म मुकदमा अपील आर. टी. आई नम्बर /६२ सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनियशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
29.11.2021	<p>सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत नवीन गोयल पुत्र महेशचन्द गोयल नादिया मौहल्ला बड वाली बगीची के पास भरतपुर जिला भरतपुर की अपील प्रमुख चिकित्सा अधिकारी भरतपुर के खिलाफ प्राप्त हुई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>अपील का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी यह अपील प्रमुख चिकित्सा अधिकारी भरतपुर के खिलाफ पेश की गई है। आर.टी.आई एक्ट के तहत प्रमुख चिकित्सा अधिकारी भरतपुर के खिलाफ अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस कार्यालय को नहीं है।</p> <p>अतः प्राप्त मूल अपील प्रार्थी को वापिस लोटाकर सूचित किया जावे कि वे नियमानुसार अपील सक्षम लोक सूचना अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें। पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;"> जिला कलक्टर भरतपुर न्यायालय</p>	